



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES  
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES  
P.O. Fatorda, Madgaon, South Goa – 403602

1532संख्या: महा / कोल्हा / बाक्साइड -16 / गोवा

खानकोड 07MSH13016

दिनांक : 16-06-2016

सेवामें

श्री श्रीकृष्णा अन्नत पंडितराव, खान मालिक,  
पंडितराव माइन्स एंड मिनरल्स प्रा. लि.,  
आर. एस. न. 747, ए-वार्ड, बी-1 वसन्त विश्वास पार्क, कोल्हापुर 416007

विषय: महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के भूदरगढ तालुका में स्थित आपकी मिनचे बुदरुक बाक्साइड खान 98.00 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.02.2016 को श्री अरविन्द बी. डेंगे, निर्देशक और श्री गजानन बी. पलव, खान प्रबन्धक की उपस्थिती में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित नियमों के लिए दिनांक 01.03.2016 को समसंख्यक उल्लंघन पत्र जारी किया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per scheme of mining approved vide letter No. MS/KLP/Goa(MAH)/Bx-92-SZ dated 24.06.2014 and a violation letter for modification in approved scheme of mining was issued on 17.12.2014 citing limited scope of advancement on eastern face of Pit-2 for insitu bauxite mining as per proposals given for 2013-14 to 2017-18. It was stated in your letter No. nil dated 6 <sup>th</sup> November 2015 to submit modified SOM within 45 days; however it is not yet submitted till date and mining operations are continued in the mines on western face of pit-2 and in the Pit-3 & Pit-4.
23(E)2	A yearly report on PMCP has not been submitted for the year 2012-13 and 2013-14 setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved scheme of mining along with progressive mine closure plan, and if there is any deviation, reasons thereof.
45(5)(b)	It is observed on scrutiny of office records that Annual return for the year 2014-15 of the mine has been submitted in hard copy, which is draft copy of online return entered at <a href="http://ibmreturns.gov.in/index.php/auth/login">http://ibmreturns.gov.in/index.php/auth/login</a> and finally not submitted in online system so far. The hard copy of Annual Return has following discrepancies. a) Details of fixed assets i.e land, building, office, workshop, crushing & screening plant and sources of finance are kept blank. b) Consumption of explosive is kept blank; although deephole drilling & blasting is carried out. c) Mineral reject generated below cut-off grade (salable grade) is kept blank.
63	As per CCOM circular No. 03 of 2013, a self appraisal report stating extent of implementation of Approved Scheme of Mining during the reporting year 2014-15 along with supporting plans/sections, representative photographs have not been submitted.

02. फिर भी यह पाया गया है कि उल्लंघन पत्र के जारी होने 45 (पैंतालीस) दिनों के उपरान्त भी इस कार्यालय में आपका उपरोक्त नियमों के सुधार बाबत कोई जबाबी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि कार्यालय में अनुमोदन के लिए संशोधित खनन योजना दिनांक 15-04-2016 को प्रस्तुत कर दी गई है।

03 उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है।

04 अतः आपको इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों नहीं आपके उपर उपरोक्त अपराध के लिए न्यायलय में मुकदमा दायर कर दिया जाए।

05 कृपया ध्यान रहे कि इस बाबत आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)  
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : 1. खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु  
2. उप निर्देशक, भूविज्ञान एवं खान विभाग, नागलापार्क, कोल्हापुर- 416003

(गिरीश कुमार जांगिड)  
उप खान नियंत्रक